बिहार सरकार
मुख्यमंत्री का कार्यालय
(जनसंपर्क कोषांग)
प्रेस विज्ञप्ति

संख्या–cm-425
20/11/2019

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई विधि व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

पटना 20 नवम्बर 2019 :– 1 अणे मार्ग स्थित 'संकल्प' में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने विधि व्यवस्था से संबंधित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक में पुलिस मुख्यालय, सी0आई0डी0 स्पेशल ब्रांच ने विधि व्यवस्था से संबंधित जानकारी में थानावार, रेंज वाइज, अपराध विश्लेषण का विस्तृत ब्योरा दिया। उनके द्वारा बताया गया कि विधि व्यवस्था के बेहतर संचालन के लिये एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर को एक भाग में और दूसरे में प्रोसिज्योर को रखकर बेहतर मॉनिटरिंग किया जा रहा है। विधि व्यवस्था के लिये डॉक्यूमेंटेशन की व्यवस्था की गयी है। जानकारी में यह भी बताया गया कि लगभग सभी जिलों में थाना स्तर पर विधि व्यवस्था एवं अनुसंधान के कार्य को पृथक कर दिया गया है। माहवार थाना स्तर से जिला स्तर तक की विधि व्यवस्था के साथ–साथ राज्य की विधि व्यवस्था की भी समीक्षा की जाती है।

समीक्षा के क्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाये रखने के लिये पुलिस को लगातार सर्तक रहना होगा। देश स्तर पर बिहार की पुलिस को तटस्थ रहकर अपनी जिम्मेवारी निभाने वाला माना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य में अपराध के ज्यादातर मामले भूमि विवाद और संपत्ति को लेकर आते हैं। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद के समाधान को प्राथमिकता देते हुये सप्ताह के निर्धारित एक दिन थाना प्रभारी, अंचलाधिकारी के स्तर से लेकर डी0एम0, एस0पी0 स्तर तक की बैठक नियमित हो। इसके लिये भी सर्तक रहने की जरूरत है। थाना स्तर पर अनुसंधान और विधि व्यवस्था के पृथक्करण से अनुसंधान कार्य में तेजी आयेगी। उन्होंने कहा कि समय पर अनुसंधान कार्य हो, ट्रायल हो और उसके बाद जल्द से जल्द दोषी को सजा होने से अपराध करने वाले के मन में भय पैदा होगा। अपराध को बढ़ावा देने वाले कोई भी हों, उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिये। बेहतर कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये मुख्यालय से ऊपर से नीचे स्तर तक के अनुसंधान कार्य एवं कानून व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय। उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र में क्राइम के नेचर और क्राइम को चिह्नित किया गया है, उस पर विशेष निगरानी रखने की आवश्यकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु से विधि व्यवस्था प्रभावित होने के बारे में जानकारी दी गयी है, जिसमें चालक की लापरवाही के मामले हैं, जिसमें ओवर स्पीड, ओवर टेकिंग जैसे मामले हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना को कम करने के लिये पहले ही परिवहन विभाग, पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य विभाग की इस संबंध में बैठक की गयी है। इस संबंध में फिर से एक बार समीक्षा बैठक कर इसके लिये जरूरी उपाय किये जायें। उन्होंने कहा कि सड़क क्रॉसिंग वाली जगहों के पास फ्लाई ओवर बनाने का निर्देश भी दिया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चा चोरी जैसी अफवाह की घटनायें सामने आती हैं। अफवाह फैलाने वाले लोगों पर भी नजर रखें और लोगों को इसके बारे में सर्तक करते रहें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस रिजन में अधिक अपराध चिह्नित किये गये हैं, वहॉ के चिह्नित दोषी पदाधिकारियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिस थाना क्षेत्र में लगातार अपराध चिह्नित हुये हैं, वहॉ विशेष सर्तकता बरतने की जरूरत है और पुलिस मुख्यालय से भी नियमित अनुश्रवण की आवश्यकता है।

बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह श्री आमिर सुबहानी, पुलिस महानिदेशक श्री गुप्तेश्वर पांडेय, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार, अपर पुलिस महानिदेशक (सी0आई0डी0) श्री विनय कुमार, ए0डी0जी0 स्पेशल ब्रांच श्री जे0एस0 गंगवार, ए0डी0जी0 मुख्यालय श्री जितेंद्र कुमार, ए0डी0जी0 लॉ एंड ऑर्डर श्री अमित कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव श्री मनीष कुमार वर्मा, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी श्री गोपाल सिंह सहित राज्य पुलिस मुख्यालय के अन्य वरीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे।

******